न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 1303 / 2012

RCMS Case No. 2012 / 00223

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
सरकार जरिये तहसीलदार बाली		1. वीरा पुत्र हरा 2. अणदा पुत्र हरा 3. धना पुत्र हरा जातिगण ग्रासिया निवासी नाणा तहसील बाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

–:: आदेश ::–

दिनांक 28/3/2013

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार बाली द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाद तामील नोटिस नियत तारीख पेशी पर पैरवी हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गोरधनपुरा तहसील बाली के सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 3961 रकबा 1.07 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 वाला में से अप्रार्थी को भूमि 0.01 हैक्टेयर भूमि आवंटित हुई है। जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 3961 / 1 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा अप्रार्थीगण के नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 1048 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि गै0मु0 वाला का आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम नाणा पटवार मण्डल नाणा के नामान्तरकरण संख्या 1048 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम गोरधनपुरा तहसील बाली के हाल खसरा नम्बर 3961 / 1 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 वाला की भूमि वीरा, अणदा, धना पुत्र हरा कौम ग्रासिया सा0 देह लीजदार 10 साला राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 3961 गै0मु0 वाला है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 1048 के जरिये अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 3961 की किस्म गै0मु0 वाला थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी / नाला / वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी वाला की भूमि का आवंटन / नियमन नहीं किया जा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आंवटन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. वाला दर्ज की जानी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश क्रमांक/राजस्व/240–43 दिनांक 10.12.2004 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम नाणा तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 1048 को निरस्त करावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति.जिला कलेक्टर,पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)